संख्या-35/2025/399/22-4-2025-1770791

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 11 जून, 2025

विषय:- डा० सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ (जे०टी०एस०) में विभिन्न राज्यों से प्रशिक्षण में आने वाले उच्चाधिकरियों के आवासीय सुविधा हेतु ट्राजिंट हास्टल मय मेस किचन व कान्फ्रेन्स हॉल सहित का निर्माण (12 क्षमता) के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10974/नम-1,2,3/का0यो0(16)/2024, दिनांक 05.03.2025 एवं पत्र संख्या-16222/नम-1,2,3/का0यो0(16)/2024, दिनांक 04.04.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- डा० सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ (जे०टी०एस०) में विभिन्न राज्यों से प्रशिक्षण में आने वाले उच्चाधिकरियों के आवासीय सुविधा हेतु ट्राजिंट हास्टल मय मेस किचन व कान्फ्रेन्स हॉल सहित का निर्माण (12 क्षमता) के निर्माण कार्य हेतु योजना की कुल लागत रू० 668.30 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासनादेश संख्या-15/2024/001-53-22-4-2024-1770791, दिनांक-19.02.2024 द्वारा व्यय हेतु प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 334.15 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में डा० सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ (जे०टी०एस०) में विभिन्न राज्यों से प्रशिक्षण में आने वाले उच्चाधिकरियों के आवासीय सुविधा हेतु ट्राजिंट हास्टल मय मेस किचन व कान्फ्रेन्स हॉल सहित का निर्माण (12 क्षमता) के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0 334.15 लाख (रूपया तीन करोड़ चौतीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करतें हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(2) इस सम्बन्ध में परियोजना हेतु मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश सख्या-15/2024/001-53-22-4-2024-1770791, दिनांक-19.02.2024 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य / मद में किया जाएगा।

(4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग दिनाँक 31.03.2026 तक कर लिया जाएगा।
(6) महानिरीक्षक, कारागार निर्माण कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा कार्य की गुणवत्ता आदि की प्रगति के संबंध में अपने स्तर से समीक्षा करते हुए प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
(7) इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत नियमों, शर्तों, प्रतिबंधों आदि का महानिरीक्षक, कारागार द्वारा नियमानुसार पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,34,15,000 (रुपये तीन करोड़ चौंतीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001200 कारागार विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-35/2025/399(1)/22-4-2025-1770791, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0।
(4) जिलाधिकारी, लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।